प्रकरण संख्या 50/2017 बंशीलाल व अन्य बनाम गेहरीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालादेह में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित ''ए'' में वर्णित कुल किता 14 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वा एवं मौजा गाजुणा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित ''बी'' में वर्णित कुल किता 23 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष डाउराम थे, जिनके जीवनकाल में दिनांक 29–06–1960 को उनके चारों पुत्रों नवलराम, हजारीलाल, जेठमल व गेहरीलाल में बंटवारा हो गया, जिसमें कलम ''ए'' की भूमियां नवलराम व जेठमल के हिस्से में रखी गयी, जिसमें उन दोनों में आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं नवलराम के वारिसान का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। इसी प्रकार कलम ''बी'' की भूमियों में आराजी नंबर 1488, 1492, 1993, 1043, 1040, 1042 व चाह नंबर 1494 के कुंए में प्रतिवादी संख्या 1 एवं हजारीलाल के वारिसान का 1/2, 1/2 हिस्सा है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 15 की उपकलम ''क'' अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावे एवं वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 में यह अंकित किया कि वादी द्वारा ग्राम कालादेह की भूमियों के साथ–साथ ग्राम गाजुणा की भूमियों बाबत भी दाद चाही गयी है, जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती एवं इस आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट के निवेदन पर उनके द्वारा प्रस्तुत	

आदेश 22 नियम 4 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुना जाकर उक्त आवेदन स्वीकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि इन भूमियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को ही प्राप्त है, क्योंकि तहसील भीम व तहसील करेडा की सीमा में विवादित भूमियां स्थित हैं एवं दोनों आराजियात के अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट्स रेकार्डेड खातेदार होने से आंशिक भूमियों के विभाजन का दावा कानूनन वर्णित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 02.05.2017 नियत की गयी, किन्तु इससे स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 08.06.2017 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.15 12:04:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: